न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
85/अपील/2016	09.08.2016	11.09.2018

1. रामप्रसाद आ0 भूरा जाति माली निवासी ग्राम बन्धा का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. दुर्गालाल आ0 भूरा जाति माली निवासी ग्राम बन्धा का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

– अपीलांट

– बनाम –

1. मोडी बाई पुत्री भूरा जाति माली निवासी ग्राम बन्धा का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. श्रृंगारी बाई पत्नी भूरा जाति माली निवासी ग्राम बन्धा का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।
4. उपपंजीयक, हिण्डोली जिला बून्दी।

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम
विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 30.05.1989
ग्राम बन्धा का खेड़ा तहसील हिण्डोली।

उपस्थित :–

अपीलांट की ओर से – श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – श्री गिरिराज गोचर, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

यह अपील तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 30.05.1989 ग्राम बन्धा का खेड़ा तहसील हिण्डोली से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गई है अपीलाधीन नामान्तरकरण खोतदार नारायण व मोहन के फौत होने से नारायण के पुत्र कल्याण, भूरा, खाना, हीरा, छोटा , रामपाल व मोहन के पुत्र घासी के नाम तस्दीक किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं. 420 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं. 421 रकबा 13 बिस्वा, खसरा सं. 422 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं. 423 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं. 424 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं. 439 रकबा 10 बिस्वा, कुल किता 06 कुल रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम बन्धा का खेड़ा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। उक्त कृषि भूमि के पूर्व खातेदार जमाबन्दी सम्वत् 2043–2046 में नारायण, ग्यारस्या, मोहन पिता चतरा, भूरा पिता पोखर कौम माली खातेदार दर्ज थे उक्त कृषि भूमि के मूल खातेदार के परिवार का अपील में अंकित सजरा अनुसार मूल पुरूष चतरा की मृत्यु के बाद उसके चार पुत्र पोखर, नारायण, ग्यारस्या, मोहन खातेदार दर्ज हुये। जिनका प्रत्येक का उक्त भूमि में 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज हुआ। जिनमें से खातेदार पोखर की मृत्यु होने पर उसके पुत्र भूरा एवं भूरया की मृत्यु होने पर उनके पुत्र, पुत्री एवं रामप्रसाद, दुर्गालाल, मोडी बाई, श्रृंगारी वारिस बने एवं नारायण की मृत्यु होने पर उसके पुत्र कल्याण, भूरा, खाना, हीरा, छोटा, रामपाल हुये। जिनमें से भूरा की मृत्यु होने पर उसका पुत्र प्रभू हुआ एवं खाना की मृत्यु होने पर उनके तीन पुत्र जगदीश, रामलाल, धर्मराज तीन पुत्रियां फूला, मनभरी फोरी एवं पत्नी नानी वारिस हुये। इसी प्रकार खातेदार ग्यारसिया की मृत्यु होने पर गोकूल, श्रीकिशना, बिरधी लाल, मांगी बाई, बरजी बाई वारिस बने जिनमें से गोकूल की मृत्यु होने पर कालू, माधो, सोहनी, वारिस बने। इस प्रकार मोहन की मृत्यु होने पर उसका पुत्र घासी खातेदार बन। इस प्रकार उपरोक्ता अनुसार विरासत का नामान्तरकरण खुलना चाहिये था लेकिन अपीलाधीन नामान्तरकरण खोलते समय भूरा आ. पोखर का नाम अंकित कर दिया गया जबकि भूरा आ. पोखर का हिस्सा 1/4 खाते में दर्ज होना चाहिये था जो अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम सं. 05 में अंकित था लेकिन उक्त इन्द्राज को छोड़कर नामान्तरकरण खोला गया। इसलिये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 30.05.1989 गलत एवं अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से यह अपील अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज करने हेतु पेश की गई है।

अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 30.05.1989 का आदेश वस्तुस्थिति एवं विधान के सर्वथा विरूद्व होने से एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्तो के विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खोलते समय तहसीलदार के द्वारा खातेदार भूरा आ0 पोखर हिस्सा 1/4 का नामान्तरकरण के कॉलम 11 में दर्ज कर उसे काट दिया गया एवं नाम दर्ज करने से छोड़ दिया गया जिससे अपीलान्ट का नाम जमाबन्दी सम्वत् 2047–2050 में दर्ज होने से रह गया।

अपीलाधीन नामान्तरकरण मृतक खातेदार नारायण व मोहन पिता चतरा के वारिसान का खोला गया था जिसमें नारायण के वारिसान कल्याण, भूरा, खाना, छोटा, रामपाल, हीरा का हिस्सा 6/24 दर्ज किया जाना था एवं मोहन के पुत्र घासी लाल का हिस्सा 1/4 दर्ज किया

जाना था एवं बाकी शेष खातेदार ग्यारसा आ. चतरा व भूरया आ. पोखर का नाम कॉलम सं. 11 में ज्यो का ज्यो दर्ज किया जाना चाहिये था लेकिन अपीलान्ट के पिता भूरा आ. पोखर हिस्सा 1/4 का नाम दर्ज किये जाने से छोड़ दिया गया एवं नाम अंकित कर काट दिया गया।

अपीलान्ट के पिता भूरया आ. पोखर के हिस्से की कृषि भूमि पर अपीलान्ट निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु दिनांक 01.02.2008 को हो चुकी है। अपीलान्ट रामप्रसाद, दुर्गालाल एवं रेस्पो. मोडी बाई व श्रृंगारी बाई मृतक खातेदार भूरया आ. पोखर के वारिस व उत्तराधिकारी है जिन्होने अपना हिस्सा 1/4 दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार को शुद्विपत्र के माध्यम से खाता दुरूस्त करवाने बाबत् दिनांक 22.09.2014 को आवेदन पत्र पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 24.09.2014 को अपीलान्ट से कहा कि गलती को सुधारने के लिये सक्षम न्यायालय में अपील दायर करे। अपीलान्ट ने दिनांक 22.07.2016 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर यह अपील अन्तर्गत मियाद पेश की गई है। इसके बावजूद भी अगर अपील में देरी मानी जावे तो विलम्ब कन्डोन करने हेतु अपीलान्ट द्वारा अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ पेश किया गया है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर भूमि खसरा सं. 420 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं. 421 रकबा 13 बिस्वा, खसरा सं. 422 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं. 423 रैंकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं. 424 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं. 439 रकबा 10 बिस्वा, कुल किता 06 कुल रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम बन्धा का खेड़ा तहसील हिण्डोली का खोला गया। नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 30.05.1989 को निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हिण्डोली को आदेशित किया जावे कि भूरया आ. पोखर के हिस्से 1/4 पर अपीलान्ट रामप्रसाद, दुर्गालाल व रेस्पोडेन्ट मोडी बाई व श्रृंगारी बाई के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने में कोई आपत्ति नहीं करते हुये स्वीकार किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज फरमाया जाकर सही वारिसान का नाम दर्ज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ के पेश किया है जिसको रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट विवादित भूमि के हितबद्व पक्षकार है, अपील का निस्तारण गुणावगुणो पर किया जाना चाहिये। अतः हस्तगत अपील का निर्णय हम गुणावगुणो पर किया जाना उचित मानते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 30.05.1989 का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि उक्त नामान्तरकरण खातेदार नारायण व मोहन के फौत होने पर पटवारी द्वारा मृतक के पुत्रो के नाम दर्ज किया गया है। नामान्तरकरण के कॉलम

संख्या 11 में भूरया आ. पोखर का नाम यथावत खातेदार के रूप में दर्ज किया गया था जिसको बाद में काटकर जमाबन्दी में अमल से रोका गया है। अपीलान्ट के पिता भूरया आ. पोखर की मृत्यु अपील में अंकित दिनांक 01.02.2008 को होने से उसके वारिसान अपीलान्ट रामप्रसाद, दुर्गालाल एवं रेस्पोडेन्ट मोडी बाई व श्रृंगारी बाई के नाम दर्ज होना चाहिये था। अपीलान्ट ने उक्त दुरूस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हिण्डोली को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पटवारी ने अपीलाधीन नामान्तरकरण में हुई गलती नवीन जमाबन्दी बनते समय हुई को शुद्व किये जाने हेतु निवेदन किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सूचित करते हुये आदेश दिये कि प्रार्थीगण को नामान्तरकरण में हुई गलती की दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में नामान्तरकरण की अपील पेश करे। भूरया आ. पोखर की मृत्यु होने से उसके उत्तराधिकारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण सं. 71 दिनांक 30.05.1989 निरस्त किया जाकर विवादित भूमि ग्राम बन्धा का खेड़ा तहसील हिण्डोली में स्थित कुल किता 06 कुल रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा में 1/4 हिस्सा अपीलान्ट रामप्रसाद, दुर्गालाल व रेस्पो. मोडी बाई, श्रृंगारी बाई के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे।

उक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 30.05.1989 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा पारित करते समय अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता भूरया आ. पोखर खातेदार का नाम नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 11 में पूर्व खातेदार अनुसार दर्ज कर काटकर जमाबन्दी में अमल रोका गया है। जो न्यायसंगत एवं उचित नहीं है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 30.05.1989 ग्राम बन्धा का खेड़ा तहसील हिण्डोली निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार, हिण्डोली को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृतक भूरया आ. पोखर के वारिसान की समुचित जांच कर साक्ष्य रेकार्ड पर लेते हुये हितबद्व पक्षकारान की सुनवाई करते हुये नियमों में निहित प्रावधान अनुसार नये सिर से नामान्तरकरण पारित करे।

पत्रावली निर्णय में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.9.18

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)